संख्या-251/2018/2797/71-1-2018-जी-89/2017

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 सितम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/279, दिनॉक 09-08-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार 06 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं 02 संस्थानों हेतु निम्न विवरणानुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) ई-हास्पिटल योजना के प्रथम चरण में ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ किये जाने हेतु 66 डाटा एक्जक्यूटीव तथा 8 सीनियर सर्पोट एक्जक्यूटीव की सेवाएं मार्च, 2020 तक के लिए आउटसोर्स (मैन पावर हायर) पर किये जाने तथा इस इस पर आने वाले व्ययभार हेतु रू0 2,39,44,560.00 (रू0 दो करोड़ उनतालीस लाख चौवालीस हजार पॉच सौ साठ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उपर्युक्तानुसार दी जाने वाली प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) एन0आई0सी0 द्वारा रजिस्टर्ड संस्था मै0 सिल्वर टच, नई दिल्ली, जिसके द्वारा प्रस्तुत गैप एनालिसिस रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार डाटा एक्जक्यूटीव एवं सीनियर सर्पोट एक्जक्यूटीव की आवश्यकता आकलित की गई है, से आउटसोर्स (मैन पावर हायर) किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार डाटा एक्जक्यूटीव एवं सीनियर सर्पोट एक्जक्यूटीव की सेवाएं आउटसोर्स पर लिए जाने के संबंध में संबंधित प्रधानाचार्य एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह आउटसोर्स पर हायर किये गये कार्मिकों का मानदेय के साथ अन्य विधिक कटौती (स्टेटयूरी डिडक्शन) भी नियमानुसार सुनश्चित करेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इस संबंध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11-12-2017 तथा शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनॉक 28-12-2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या:-251/2018/2797(1)/71-1-2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।